



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25103

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2342/2026

मनोज कुमार पटेलयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : हर्षित कुमार श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव, मदन लाल श्रीवास्तव

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, श्री मनोज कुमार पटेल (याची) इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वह वर्तमान रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं।
2. तदनुसार, रिट याचिका "बल न दिए जाने" के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"